

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

बनाम

रामसिंह

रामपत आदि

दावा बाबत :- 88 RAct

मुकदमा नम्बर :- 283/2021

निर्णय दिनांक :- 23-11-2021

वादी की ओर से वकील प्रधान कुमार आजा की व प्रतिवादी सं० 1-115 की ओर से वकील दावान सिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23-11-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रवि मंडी के खाता सं० 247/225 के खासरा सं० 128/1 की 2.0870 है, खासरा सं० 393/1 की 7.6730 है, खासरा सं० 404 की 1.1640 है, खासरा सं० 440/2 की 0.3410 है, खासरा सं० 484/2 की 0.7840 है कुल 12.0550 है कारणों से खातेदारों रवि मंडी प्रतिवादी सं० रामपत के नाम राजस्व रिमांड में पड़े हैं मैं से प्रतिवादी सं० रामपत के बजाए वादी रामसिंह, प्रतिवादी सं० 1 रामपत, प्रतिवादी सं० 2 सुरेन्द्र कुमार को बहिष्कार कराकर के खातेदार काश्तकार घोषित किए जाते हैं यदि प्रतिवादी सं० 1 व 2 अपने अपना सम्पूर्ण एक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर चुकें कर लिया है इसलिए त्याग किए गए हिस्से पर पुनः पुनः विभागा को देय पंजीयक मूल्य एवं स्थायी रूपे अपु लाने व यदि कृषि मुक्ति के लिए के रखे होता खगुल होने के इपरान्त घराजस्व रिमांड में अमूल्य हराजद किया जावे राजागमा को डिडी का माग पढा जावे

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
 भादरा, जिला कुशीनगर
 कैम्प अ-2821
 केम्प श्री